[2021] 1 एस. सी. आर. 518

लक्ष्मीबाई चंद्रागी बी और एक अन्य

बनाम

कर्नाटक राज्य और अन्य

(रिट याचिका [आपराधिक] सं. 359/2020)

फरवरी 08,2021

[संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्तिगण]

भारत का संविधान-अनुच्छेद 21-जीवन साथी चुनने का अधिकार याचिकाकर्ता नं. 1 उसके पिता द्वारा दर्ज कराई गई-एफ. आई. आर. -

लड़के और लड़कियां अपने जीवन साथी का चयन कर रहे हैं समाज के पहले के मानदंड जहां जाति और समुदाय ने प्रमुख भूमिका निभाई थी-यह आगे का रास्ता है-मुरगोड पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसरण में कार्यवाही को रद्द कर दिया गया।

याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

यदि आई. ओ. याचिकाकर्ता संख्या 2 के आवास पर जा सकता था, तो वह याचिकाकर्ता संख्या 1 का बयान उस स्थान पर दर्ज कर सकता था जहां याचिकाकर्ता रह रहे थे, न कि याचिकाकर्ताओं को कर्नाटक के स्थानीय पुलिस थाने में आने के लिए जोर देने और बुलाने के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने निस्संदेह याचिकाकर्ता नंबर 1 को आने और रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर करने की मांग की।

याचिकाकर्ता संख्या 2 की गिरफ्तारी। आई. ओ. का आचरण दृढ़ता से है इन रणनीतियों को अपनाने में अस्वीकृत। [पैरा 7] [521-जी-एच; 522-ए]

1.2 दोनों पक्ष अच्छी तरह से शिक्षित थे। हालाँकि, याचिकाकर्ता संख्या 1 के माता-पिता ने विरोध किया, हालाँकि याचिकाकर्ता संख्या 2 के माता-पिता दोनों योग्य याचिकाकर्ताओं के विवाह के लिए तैयार थे जो धर्म से बड़े और हिंदू हैं। शिक्षित युवा लड़के और लड़कियां अपने जीवन साथी का चयन कर रहे हैं, जो बदले में समाज के पहले के मानदंडों से अलग है, जहां जाति और समुदाय एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। संभवत: यह आगे बढ़ने का रास्ता है जहां इस तरह के अंतर-विवाह से जाति और सामुदायिक तनाव कम होंगे लेकिन इस बीच ये युवा

बुजुर्गों से धमकियों का सामना करना पड़ता है और अदालतें इन युवाओं की सहायता के लिए आ रही हैं। मामले के दिए गए तथ्यों में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की वास्तव में आवश्यकता नहीं होती अगर आई. ओ. ने मामले को बंद करने में खुद को अधिक जिम्मेदारी से संचालित किया होता।

शिकायत और अगर वह वास्तव में याचिकाकर्ता नंबर 1 का बयान दर्ज करना चाहते थे, तो उन्हें सूचित करना चाहिए था कि वह उनसे मिलने जाएंगे। और उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए याचिकाकर्ता संख्या 2 के खिलाफ कार्रवाई की धमकी देने के बजाय बयान दर्ज किया। पुलिस अधिकारियों के लिए आगे का रास्ता न केवल वर्तमान आई. ओ. को परामर्श देना है, बल्कि उनसे निपटने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना है।

पुलिस कर्मियों के लाभ के लिए ऐसे मामले। पुलिस अधिकारियों द्वारा अगले आठ हफ्तों में कुछ दिशा-निर्देश और प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए इस संबंध में कार्रवाई करने की उम्मीद है।

ऐसे सामाजिक रूप से संवेदनशील मामलों को कैसे संभाला जाए। मुरगोद पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसरण में कार्यवाही, कर्नाटक के बेलगावी जिले को रद्द कर दिया गया है। [पैरा 8,9,12-14] [522-B, C-D; 523-B-E]

शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ (2018) 7 एससीसी 192:

[2018] 3 एस. सी. आर. 770; आशा रंजन बनाम। बिहार राज्य (2017)

4 एससीसी 397: [2017] 1 एस. सी. आर. 945; शफीन जहां बनाम। अशोकन के एम एंड ओआरएस। (2018) 16 एससीसी 408; लता सिंह बनाम राज्य

यू. पी. (2006) 5 एस. सी. सी. 475: [2006] 3 पूरक। एससीआर 350;

के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) 10 एससीसी 1:

[2017] 10 एससीआर 569-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

[2018] 3 एससीआर 770

पैरा 10

उस पर भरोसा करें

[2017] 1 एससीआर 945

उस पर भरोसा करें

पैरा 11

[2006] 3 पूरक। एससीआर 350

उस पर भरोसा करें

पैरा 11

[2017] 10 एससीआर 569

उस पर भरोसा करें

पैरा 11

मौलिक न्यायनिर्णय: लेखन याचिका (आपराधिक) सं. 359

2020 से।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

प्रभात कुमार राय, कामेश्वर नाथ मिश्रा, सुश्री स्मृति सिंह, क्रिस्टोफर बी डिसूजा, शुभ्रांशु पाधी, आशीष यादव, रक्षित जैन, विशाल बंशल, अंकित गोयल, सचिन शर्मा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय किशन कौल, जे।

नियम बनाएँ।

1. हमने पक्षों के लिए विद्वान परामर्श सुना है।

2. श्री बसप्पा चंदरगी नामक व्यक्ति ने बेलगावी जिले के मुरगोद पुलिस स्टेशन, सवदत्ती तालुक में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी सुश्री लक्ष्मीबाई चंदरगी, याचिकाकर्ता संख्या 1,14.10.2020 के बाद से लापता थी। शिकायत के अनुसरण में, एक लापता व्यक्ति की एफ़. आई. आर. No.226/2020 दर्ज की गई और जाँच अधिकारी ने दर्ज किया

लापता व्यक्ति के माता-पिता और उसके रिश्तेदारों का बयान और कॉल विवरण लिया। कॉल विवरण से यह स्पष्ट हो गया कि याचिकाकर्ता नंबर 1 याचिकाकर्ता नंबर 2 श्री संतोष सिंह यादव के संपर्क में था। जाँच के दौरान यह पाया गया कि याचिकाकर्ता संख्या 1, जाहिरा तौर पर अपने माता-पिता को सूचित किए बिना, हुबली से बैंगलोर और आगे बैंगलोर से दिल्ली के लिए उड़ान से यात्रा की थी और उसके बाद याचिकाकर्ता संख्या 2 से शादी की थी। याचिकाकर्ता नंबर 1 ने 15.10.2020 पर वॉट्सऐप के माध्यम से अपने माता-पिता को अपना विवाह प्रमाण पत्र भेजा जिसमें उसने खुलासा किया कि याचिकाकर्ता संख्या 2 के साथ विवाह का तथ्य। यह राज्य का मामला है कि आई. ओ. याचिकाकर्ता संख्या 1 के ठिकाने का पता लगाने के लिए गाजियाबाद गया और याचिकाकर्ता संख्या 2 के आवास पर जाने पर उसके माता-पिता ने सूचित किया कि उन्हें याचिकाकर्ताओं के ठिकाने का पता नहीं है। हालाँकि, याचिकाकर्ता संख्या 1 ने जाँच अधिकारी से बात की और सूचित किया कि वह पहले से ही याचिकाकर्ता

संख्या 2 से शादी कर चुकी थी और उसके साथ रह रही थी। लेकिन आई. ओ. ने इसके बजाय जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता नंबर 1 को बयान दर्ज करने के लिए मुरगोद पुलिस स्टेशन के सामने पेश होना चाहिए ताकि मामले को बंद किया जा सके। याचिकाकर्ता संख्या 1 ने आई. ओ. को एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि उसकी शादी याचिकाकर्ता संख्या 2 से हुई थी और उसके माता-पिता से धमकी मिली थी और इसलिए वह पुलिस स्टेशन नहीं जा सकी। आई. ओ. द्वारा लापता व्यक्ति का मामला अभी तक बंद नहीं किया गया था।

3. यह उपरोक्त परिस्थितियों में है कि वर्तमान याचिका

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर किया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में याचिकाकर्ता संख्या 2 के साथ रहने से उत्पन्न अधिकार क्षेत्र के द्वंद्व का मुद्दा है, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 1 कर्नाटक से आई थी। यह याचिकाकर्ताओं का मामला है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 के चाचा उन्हें धमकी दे रहे थे। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने और परिवार के सदस्यों के लिए सुरक्षा की मांग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर, तत्काल सुनवाई के लिए लगभग एक महीने की अवधि के बाद भी मामले पर विचार नहीं किया जा सका।

4. याचिकाकर्ताओं ने याचिकाकर्ता संख्या 1 और पुलिस के बीच हुई बातचीत का एक प्रतिलेख संलग्न किया है जिसमें आई. ओ. उसे कर्नाटक वापस आने के लिए कह रहा है अन्यथा वे उसके पास आएंगे और उसके परिवार के कहने पर याचिकाकर्ता संख्या 2 के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करेंगे।

5. हमने मूल रूप से कन्नड़ में पृष्ठ डी से पृष्ठ एच तक की प्रतिलिपि का अनुवाद किया है, जिसका अब अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है।

याचिकाकर्ता संख्या 1 ने सुरक्षा की कमी की भावना व्यक्त की। हालांकि आई. ओ. ने कहा कि वे मामले को बंद करना चाहते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि वह पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराए। आई. ओ. ने यह भी कहा कि परिवार के सदस्य उसके खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं कि उसने घर से चीजें चुराई हैं और अगर प्राथमिकी दर्ज की जाती है, तो याचिकाकर्ता संख्या 2 के खिलाफ नकारात्मक निशान होगा और उन्हें उसे गिरफ्तार करना होगा जो कि उसकी नौकरी के लिए भी समस्या हो सकती है।

6. उपरोक्त, जवाबी हलफनामे में जो कहा गया है, उससे उस हद तक मेल नहीं खाता जितना जांच अधिकारी ने किसी भी समय नहीं लिया था।

याचिकाकर्ताओं को धमकी दी।

7. उपरोक्त बात पुलिस अधिकारियों या आई. ओ. पर बहुत अच्छी तरह से प्रतिबिंबित नहीं होती है, उसके द्वारा प्राप्त विवाह प्रमाण पत्र और

याचिकाकर्ता संख्या 1 के साथ पहले से ही बातचीत की जा चुकी है जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह याचिकाकर्ता संख्या 2 से विवाहित थी और वह पुलिस स्टेशन आने से डर और आशंका महसूस कर रही

थी। यदि आई. ओ. याचिकाकर्ता संख्या 2 के आवास पर जा सकता था, तो वह याचिकाकर्ता संख्या 1 का बयान उस स्थान पर दर्ज कर सकता था जहां याचिकाकर्ता रह रहे थे, न कि याचिकाकर्ताओं को कर्नाटक के स्थानीय पुलिस थाने में आने के लिए जोर देने और बुलाने के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने निस्संदेह याचिकाकर्ता नंबर 1 को [2021] 1 एस. सी. आर. की संभावना के खतरे पर पुलिस स्टेशन आने और बयान दर्ज करने के लिए मजबूर करने की मांग की। उसके माता-पिता द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 2 के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया जा रहा है और पुलिस की परिणामी कार्रवाई जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता संख्या 2 की गिरफ्तारी होगी। हम इन रणनीतियों को अपनाने में आई. ओ. के आचरण की कड़ी निंदा करते हैं और अधिकारी को परामर्श के लिए भेजा जाना चाहिए कि ऐसे मामलों का प्रबंधन कैसे किया जाए।

8. दोनों पक्ष अच्छी तरह से शिक्षित हैं। याचिकाकर्ता संख्या 2 एन. आई. टी., तिरुचिरापल्ली से एक M.Tech है, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 1-पत्नी, एक

M.A.B.Ed। याचिकाकर्ता संख्या 2 को सहायक के रूप में नियुक्ति मिली थी।

जैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बेलगावी, कर्नाटक में प्रोफेसर जबकि याचिकाकर्ता नंबर 1 के. एल. ई. एस. (कर्नाटक लिंगायत एजुकेशन सोसाइटी) प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज, बैलहोंगल में व्याख्याता थे और ऐसा प्रतीत होता है कि इन कार्यों के दौरान उनमें एक-दूसरे के लिए रुचि विकसित हुई। हालाँकि, याचिकाकर्ता नंबर 1 के माता-पिता ने विरोध किया, हालाँकि माता-पिता ने याचिकाकर्ता संख्या 2 के दोनों अच्छी तरह से योग्य याचिकाकर्ताओं के विवाह के लिए इच्छुक थे जो धर्म से मेजर और हिंदू हैं।

9. शिक्षित युवा लड़के और लड़कियां अपने जीवन साथी का चयन कर रहे हैं, जो बदले में समाज के पहले के मानदंडों से अलग है। जाति और समुदाय एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। संभवतः, यह वह रास्ता है जहाँ इस तरह के अंतर-विवाह से जाति और सामुदायिक तनाव कम होंगे, लेकिन इस बीच इन युवाओं को बड़ों से धमकियों का सामना करना पड़ता है और अदालतें इन युवाओं की सहायता के लिए आ रही हैं।

10. हम अपने विचार में पहले की न्यायिक घोषणाओं से मजबूत हैं।

इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है कि दो वयस्क व्यक्तियों के बाद परिवार या समुदाय या कबीले की सहमति आवश्यक नहीं है।

विवाह में प्रवेश करने के लिए सहमत होते हैं और उनकी सहमति को पवित्रता से प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 1 यह उस संदर्भ में आगे देखा गया है कि किसी व्यक्ति का चयन गरिमा का एक अटूट हिस्सा है, क्योंकि गरिमा नहीं हो सकती।

इस बारे में सोचें कि पसंद का क्षरण कहाँ है। इस तरह के अधिकार या पसंद से "वर्ग सम्मान" या "सामूहिक सोच" की अवधारणा के आगे झुकने की उम्मीद नहीं की जाती है। 2

11. शफीन जहां बनाम। अशोकन के एम एंड ओआरएस। 3, इस न्यायालय ने देखा कि समाज एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी अवधि के माध्यम से उभर रहा था। 4

1 शक्ति वाहिनी बनाम। भारत संघ (2018) 7 एस. सी. सी. 192 2 आशा रंजन बनाम। बिहार राज्य (2017) 4 एससीसी 397 3 (2018) 16 एससीसी 408

4 लता सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2006) 5 एस. सी. सी. 475 लक्ष्मीबाई चंद्रागी बी. और ए. एन. आर.

12. मामले के दिए गए तथ्यों में इस अदालत के हस्तक्षेप की वास्तव में आवश्यकता नहीं होती अगर आई. ओ. ने शिकायत को बंद करने में खुद को अधिक जिम्मेदारी से संचालित किया होता और अगर वह वास्तव में चाहते थे याचिकाकर्ता संख्या 1 का बयान दर्ज करें, उसे सूचित करना चाहिए था कि वह उससे मिलने जाएगा और उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए याचिकाकर्ता संख्या 2 के खिलाफ कार्रवाई की धमकी देने के बजाय बयान दर्ज करेगा।

13. पुलिस अधिकारियों के लिए आगे का रास्ता न केवल वर्तमान आई. ओ. को परामर्श देना है, बल्कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना है

पुलिस कर्मियों के लाभ के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस अधिकारी अगले आठ हफ्तों में इस संबंध में कार्रवाई करेंगे ताकि कुछ दिशानिर्देश और प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किए जा सकें कि इस तरह के सामाजिक रूप से संवेदनशील लोगों से कैसे निपटा जाए।

14. जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान याचिका दायर की है, वास्तव में आगे किसी बयान की आवश्यकता नहीं है

दर्ज की गई और इस प्रकार, बेलगावी के मुरगोद पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफ. आई. आर. No.226/2020 दिनांक 15.10.2020 के अनुसरण में कार्यवाही जिला, कर्नाटक को इस उम्मीद के साथ रद्द कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 के माता-पिता को शादी को स्वीकार करने और न केवल याचिकाकर्ता संख्या 1 के साथ बल्कि याचिकाकर्ता संख्या 2 के साथ भी सामाजिक संपर्क स्थापित करने के लिए बेहतर समझ होगी। हमारे विचार में यही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। जाति और समुदाय की आड़ में बच्चे और दामाद को अलग-थलग करना शायद ही एक वांछनीय सामाजिक अभ्यास होगा। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के शब्दों में "जाति का उन्मूलन":

" मुझे विश्वास है कि वास्तविक उपाय अंतर-विवाह है। केवल रक्त का संलयन ही अंतरंग होने की भावना पैदा कर सकता है, और जब तक यह अंतरंगता की भावना, अंतरंग होने की भावना सर्वोपरि नहीं हो जाती, तब तक अलगाववादी भावना-जाति द्वारा बनाई गई विदेशी होने की भावना गायब नहीं होगी। जहाँ समाज पहले से ही अन्य संबंधों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है,

5 (2017) 10 एससीसी 1 [2021] 1 एस. सी.]

विवाह जीवन की एक सामान्य घटना है। लेकिन जहाँ समाज अलग है, वहाँ विवाह एक बाध्यकारी शक्ति के रूप में आग्रह की आवश्यकता का विषय बन जाता है। जाति तोड़ने का वास्तविक उपाय अंतर-विवाह है और कुछ भी जाति के विलायक के रूप में काम नहीं करेगा।

15. रिट का निपटारा उपरोक्त शर्तों में कुछ भविष्य के साथ किया जाता है!

याचिका का निपटारा

पांडे